न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 4328–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 422/2010–11/अपील.

रायसिंह पिता स्वरूपसिंह सौंधिया (मृत) द्वारा वारिसान
1– सोनाबाई विधवा रायसिंह
2– भेरूसिंह पिता रायसिंह
3– हरिसिंह पिता रायसिंह
निवासीगण ग्राम पलेवना
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मणसिंह पिता रघुनाथ सिंह
निवासी ग्राम पलेवना
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका कमांक 1 के पति एवं आवेदक कमांक 2 एवं 3 के पिता स्व. रायसिंह द्वारा नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा

पलेवना स्थित भूमि सर्वे कमांक 452 रकबा 1.295 हेक्टेयर वर्ष 1995–96 तक उसकी माता पानबाई बेवा स्वरूपसिंह के नाम से दर्ज रही । बंदोबस्त के दौरान पुराना सर्वे कमांक 452 का नया सर्वे कमांक 791 रकबा 1.28 कायम करते हुए उसकी माता पानबाई का नाम दर्ज नहीं करते हुए अनावेदक लक्ष्मणसिंह का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया, उसकी माता का स्वर्गवास हो गया है, और वह एकमात्र वारिस है, अतः वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक के स्थान पर उसका नाम दर्ज किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–6–अ/2010–11 दर्ज कर दिनांक 23–4–2011 को आदेश पारित कर मृतक रायसिंह का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–7–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–12–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक रायसिंह की माता पानबाई का नाम संहिता के लागू होने के समय से लेकर वर्ष 1995–96 तक रहा, किन्तु वर्ष 1996–97 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के एवं बिना किसी आधार के अनावेदक के पिता रूगनाथ का नाम दर्ज किया गया है, और अनावेदक की ओर से भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर अपील निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया कि वर्ष 1959–60 के खसरे के कॉलम नंबर 26 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पानबाई ने अनावेदक पक्ष को रूपये 125/– में विकय की है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रूपये 100/– से अधिक के अचल सम्पत्ति विकय होने पर उसका विधिसम्मत विकय पत्र का निष्पादन व

पंजीयन आवश्यक है, जबकि मृतक रायसिंह की माता पानबाई द्वारा रूपसिंह के पक्ष में कोई विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन नहीं किया गया है, जिस पर भी अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) आवेदकगण के पूर्वज मृतक रायसिंह द्वारा द्वारा गलत इन्द्राज की जानकारी होने के 1 वर्ष के अंदर ही तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत जांच की जाकर आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस पर कोई विचार नहीं कर अपील निरस्त करने में भूल की गई है ।

(4) मात्र खसरे में भूमि की प्रविष्टि को आधार मानते हुए तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के दादा रूपसिंह द्वारा वर्ष 1959–60 में वादग्रस्त भूमि पानबाई से क्रय की गई है, और वर्ष 1992–93 में अनावेदक के पिता रूगनाथ को बटवारे में प्राप्त हुई तथा बाद, में वर्ष 2007–08 में अनावेदक को बटवारे में प्राप्त हुई है । यह भी कहा गया कि पानबाई द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम अंकित करने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि पानबाई की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान रायसिंह द्वारा द्वारा बेईमानी करते हुए वर्ष 1992–93 की बंदोबस्त त्रुटि बताकर तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क इस प्रकरण में संहिता की धारा 115 एवं 116 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में निकाले गये निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, केवल एक वर्ष के खसरे के कॉलम नं. 12 में प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय का उल्लेख होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय माना गया है, जबकि एक वर्ष की प्रविष्टि से भूमि के विक्रय किये जाने की पुष्टि नहीं होती है । प्रकरण की परिस्थितियों को

देखते हुए तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत ही मान्य होगा, क्योंकि खसरे की प्रविष्टि में परिवर्तन किसी आदेश से किया जाना प्रमाणित नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरण का विधि अनुरूप निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर